

डिगरी बमूकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.

वादीगण :-

- 1-मनोहरी पत्नि नोलाराम
 - 2-सियाराम पुत्र नोलाराम
- जाति मेघवाल निवासी कोड तहसील रियांबडी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1-तहसीलदार रियांबडी
- 2-पटवारी हलका कोड

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955. मुकदमान राजस्व वाद संख्या:-29/2018 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी...मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

"नौजा कोड के खसरा नंबर 706 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 707 रकबा 0.81 हैक्टर कुल रकबा 1.62 हैक्टर में मनोहरदेवी पत्नि नोलाराम की जगह मनोहरी देवी पत्नि नोलाराम व शिवराज पुत्र नोलाराम की जगह सियाराम पुत्र नोलाराम दर्ज किया जावें।

तहसीलदार रियांबडी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।

.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....
.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

नोट:-उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख :-14.05.2018



अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प-कोड

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान		

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प-कोड